न्यायालय– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवबंद, सहारनपुर।

सत्र वाद सं0 146/2022

राज्य बनाम रियाज आदि

मु0अ0सं0 497/2022

अन्तर्गत धारा 147,148,149,452,307,323,506 भा0दं0सं0

थाना देवबन्द, जिला सहारनपुर।

आरोप

मैं सुश्री निधि, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवबंद, जिला सहारनपुर आप अभियुक्तगण रियाज, फैय्याज, प्रवेज उर्फ कल्लू, असलम, साकिब व फरहान को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करती हूँ–

1– यह कि दिनांक 26.07.2022 को समय करीब 10:30 बजे स्थान ग्राम केन्दुकी अन्तर्गत थाना क्षेत्र देवबन्द जिला सहारनपुर में आप विधि विरूद्ध जमाव के सदस्य रहकर, जिसका सामान्य उद्देश्य वादी मुकदमा बोबी व उसके परिवार वालो को जान से मारने हेतु चोटें पहुंचाना था तथा अपने उक्त सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया है जो भा0दं0सं0 की धारा 147 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आपने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर एक विधि विरुद्ध समूह बनाया जिसका सामान्य उद्देश्य वादी मुकदमा बोबी व उसके परिवार वालो को जान से मारने की नीयत से चोटें पहुंचाना था तथा अपने उक्त विधि विरूद्ध सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल/हिंसा का प्रयोग किया गया तथा उक्त समय घातक आयुध लाठी, डंडे से लैश थे। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो भा0दं0सं0 की धारा 148 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आपने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर एक राय होकर सामान्य उददेश्य को अग्रसारित करने हेतु वादी मुकदमा बोबी व उसके परिवार वालो को जान से मारने की नीयत से लाठी, डंडे से मारपीट कर वादी मुकदमा की माता, भाई व बहन को गम्भीर चोटें पहुंचाई। आपने यह चोटें इस आशय व ज्ञान से तथा ऐसी परिस्थितियों में पहुंचायी कि यदि उससे उनकी मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के दोषी होते। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया है जो भा0दं0सं0 की धारा 307/149 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर एक राय होकर सामान्य उददेश्य को अग्रसारित करने हेतु घातक हथियारों लाठी, डंडे से सुसज्जित होकर वादी मुकदमा बोबी के घर में अनाधिकृत रूप से गृह अतिचार किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया है जो भा0दं0सं0 की धारा 452 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

5– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा बोबी की माता, भाई व बहन को मारपीट कर साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा 323/149 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

6– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा बोबी की माता, भाई व बहन को लाठी व डंडे से मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की। इस प्रकार आप अभियुक्तगण द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया जो भा0दं0सं0 की धारा 325/149 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

7– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा बोबी व उसके परिवार वालो को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया है। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो भा0दं0सं0 की धारा 506 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि उक्त आरोपों की बाबत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः 31.01.2024

(सुश्री निधि)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
देवबन्द, सहारनपुर।

उक्त आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाये व समझाये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की ।

दिनांकः 31.01.2024

(सुश्री निधि)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
देवबन्द, सहारनपुर।